कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, आगरा।

पत्रांकःसीएफओ–अ0सु0 –20/16(पै0प0) दिनांकः नवम्बर, 08 ,2016

सेवामें,

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0),

आगरा।

विषयः– गाटा सं0–203, ग्राम एत्मादपुर अजनेरा, तहसील फतेहाबाद, आगरा, पर प्रस्तावित हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, द्वारा पैट्रोल पम्प रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु अग्निसुरक्षा व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में।

संदर्भः आपका पत्रांकः711/आब0सहा0–एन0ओ0सी0 दिनांकः05.10.2016

कृपया उपरोक्त विषय में आपके संदर्भित पत्र के साथ संलग्न मानचित्र के आधार पर अग्निशमन अधिकारी ताजनगरी, आगरा द्वारा स्थलीय निरीक्षण कराया गया, तो अग्निशमन अधिकारी की संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या दिनांकः24.11.2016 के अनुसार प्रस्तावित स्थल ग्राम एत्मादपुर अजनेरा, तहसील फतेहाबाद पर स्थित है, जहाँ तक अग्निशमन वाहन पहुँचकर कार्य कर सकते है। प्रस्तावित स्थल के ऊपर से कोई विद्युत लाइन नहीं गुजर रही है। स्थल पर कार्य आरम्भ करने से पूर्व निम्नांकित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाऐं स्थापित कराये जाने हेतु व्यवस्थापक को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें :–

1. विद्युत तथा अन्य उपकरणों के तार धातु की पाइप ''जो स्पार्क प्रूफ हो'' से होकर गुजारे जाएगें। इसमें निरीक्षण की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। बिजली के तारों के साथ ई.एल.सी.बी.(अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर) की व्यवस्था की जाएगी।
2. स्थल पर निकास लाइटनिंग/वेन्टीलेशन की व्यवस्थाऐ एन.बी.सी.–2005 के मानकों के अनुरूप होनी चाहिए।
3. पैट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण तथा अन्य उपकरणों जहां अर्थिंग की व्यवस्था की आवश्यकता हो, पैट्रोलियम रूल्स 2002 तथा अन्य सुरक्षा व्यवस्था ओआईएसडी–225 के अनुरूप होनी चाहिए।
4. बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन एवं कन्ज्यूमर यूनिट में एम.सी.बी.(मेनियेचर सर्किट ब्रैकर) आईएस–8828 के अनुरूप होनी चाहिए।
5. स्थल पर निम्न अग्निसुरक्षा प्राविधानों का उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा –
   - अग्नि सुरक्षा दृष्टिकोंण से कारोबार स्थल पर10,000लीटर क्षमता के ओवर हैड टैंक एवं उसके पास 450एलपीएम क्षमता के फायर पम्प व लैंडिग वाल्व मय कम्पलीट होजबाक्स की व्यवस्था।
   - एबीसी टाइप एक्सटिंग्यूशर क्षमता 10 केजी –04 अदद
   - पावररूम पर सी0ओ0टू0 एक्सटिंग्यूशर क्षमता 4.5 किग्रा. –02 अदद
   - एएफएफएफ एक्सटिंग्यूशर क्षमता 50 किग्रा तथा एबीसी ट्राली क्षमता 75 कि0ग्रा0–01–01 अदद टैंको के पास
   - पानी/रेंत से भरी बाल्टियॉ(गोल पैदे वाली) – 6–6 अदद
   - बालू का ढेर – 100 घन फुट
   - बेल्चा/फावडा – 1–1 अदद
   - वाटरजेल ब्लैकिट – 01 अदद
   - धुम्र पान निषेध बोर्ड – आवश्यकतानुसार
   - आपात कालीन सेवाओं के टेलीफोन नम्बरों की सूची
6. पैट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण के समस्त निर्माण कार्य व उपकरण पैट्रोलियम रूल्स के मानकों के अनुरूप होने चाहिए।
7. सम्बन्धित रसायन की एम0एस0डी0एस0(मैटेरियल सेफ्टी डाटा शीट)के अनुसार सुरक्षा व्यवस्थाऐं भी सुनिश्चित की जाए।
8. कोई भी ऐसा पदार्थ या प्रकिया जो आग या स्पार्क पैदा करता हो का भण्डारण स्थल पर ले जाना सर्वथा वर्जित होगा।
9. ओवरहैड इलैक्ट्रिक लाइन प्रस्तावित स्थल के ऊपर से होकर नही गुजरनी चाहिए। ओवरहैड इलैक्ट्रिक लाइन तथा प्रस्तावित स्थल के बीच की दूरी इण्डियन इलैक्ट्रिसिटी रूल्स एवं रेग्यूलेशन के अनुरूप होनी चाहिए।
10. भण्डारण प्रांगण में कार्यरत समस्त स्टाफ को पैट्रोलियम पदार्थ की प्रकियाओं एवं उनके गुण दोषो के साथ अग्निशमन के उपकरणों के रख रखाव एवं उनके संचालन की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए।
11. स्थल के आस–पास आबादी को दृष्टिगत रखते हुऐ भवन के टैरिस पर टैरिस टैंक क्षमता 5,000 लीटर तथा उसके के पास 450 एलपीएम क्षमता का टैरिस पम्प, होजरील एवं लैडिंग वाल्व का लगाये जाने का प्राविधानित है।
12. भण्डारण प्रांगण की सफाई/हाउस कीपिंग उच्चकोटि की होंनी चाहिए साथ ही स्थल पर अन्य किसी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ का भण्डारण सर्वथा वर्जित होगा।
13. मानचित्र में दर्शाये गये समस्त निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्तावित अग्निसुरक्षा व्यवस्थाओं को कारोबार आरम्भ करने से पूर्व स्थल पर स्थापित/उपलब्ध कराये जाने के पश्चात अग्निशमन विभाग से निरीक्षण कराते हुए अन्तिम रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।

संलग्नः–अनुमोदित मानचित्र।

(सुनील कुमार सिंह)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
आगरा।

प्रतिलिपिः–अग्निशमन अधिकारी ताजनगरी, आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2–स्वामी/प्रबन्धक, हि0पै0कॉ0लि0, गाटा सं0–203, ग्राम एत्मादपुर अजनेरा, तहसील फतेहाबाद, आगरा को सूचनार्थ प्रेषित।